राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2820–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.4.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, प्रकरण कमांक 533/11–12/अपील.

बद्रीलाल पिता हरसिंह कलौता,
निवासी ग्राम जलोदिया पंथ, तहसील
देपालपुर, जिला इन्दौर, म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

कलोता कल्याण ट्रस्ट,
तर्फे अध्यक्ष दयाराम परिहार एडवोकेट,
निवासी ग्राम जलोदिया पंथ, तहसील
देपालपुर, जिला इन्दौर,म0प्र0 .....अनावेदक

श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0जी0 पाठक, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 26 मई, 2014)

आवेदक द्वारा यह निर्गरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक बद्रीलाल द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार देपालपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बरोदापंथ स्थित भूमि सर्वे कमांक 226/9 रकबा 1.321 हैक्टेयर उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि है । उसके द्वारा सीमांकन कराये जाने पर उक्त भूमि में से 0.721 हैक्टैयर पर

की भूमि है । उसके द्वारा सीमांकन कराये जाने पर उक्त भूमि में से 0.721 हैक्टैयर पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः उक्त भूमि का उसे कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ–70/2010–11 दर्ज किया जाकर, दिनांक 30.7.2011 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28.8.2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाकर, अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.4.2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार देपालपुर को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्षों के समक्ष अभिलेख व स्वत्वानुसार बटे नम्बर नक्शे में कायम करवाकर विधिवत् सीमांकन कराकर प्रकरण का समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर 3 माह के अंदर निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण के निराकरण के लिये केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के पश्चात् अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपर आयुक्त को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं था, उन्हें प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करना था । अतः प्रकरण अंतिम रूप से निराकृत किये जाने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये । इस तर्क से आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सहमति व्यक्त की गई ।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 49 में 30.12.2011 को संशोधन किया जाकर उपधारा (3) में यह प्रावधानित किया गया कि पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे

उलट सकेगा या ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिये वह आवश्यक समझे : परंतु यह कि अपील प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार देपालपुर को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्षों के समक्ष अभिलेख व स्वत्वानुसार बटे नम्बर नक्शे में कायम करवाकर विधिवत् सीमांकर कराकर प्रकरण का समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर 3 माह के अंदर निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत होने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देकर, यदि आवश्यक समझे तो अतिरिक्त साक्ष्य ली जाकर, प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.4.2013 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देकर, यदि आवश्यक समझे तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर 3 माह के अंदर प्रकरण अंतिम रूप से निराकरण करें ।

6/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 2566–पीबीआर/13 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर